



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042024-253742  
CG-DL-E-18042024-253742

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2024/चैत्र 27, 1946

No. 256]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2024/CHAITRA 27, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/26/14-डीडी/68/14/डीसी/621/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन समिति ने सीए. जयंत भट्टाचार्य (सदस्यता संख्या 017916), 633, ब्लॉक ओ, न्यू अलीपोर, कोलकाता 700 053, को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (7), (8) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. जयंत भट्टाचार्य (सदस्यता संख्या 017916) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। अनुशासन समिति के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22ख के निबंधनानुसार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील (33/आईसीएआई/2022) फाइल की और अपीलीय प्राधिकरण ने अपने तारीख 2 नवंबर, 2023 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी के नाम को हटाए जाने की अवधि को 01 (एक) वर्ष से घटाकर 03 (तीन) मास कर दिया। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. जयंत भट्टाचार्य (सदस्यता संख्या 017916) का नाम 16 अप्रैल, 2024 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./025/2024-25]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA****(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2024

**(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**No. PR/26/14-DD/68/14/DC/621/2017.**—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Jayanta Bhattacharya (Membership No. 017916), 633, Block O, New Alipore, KOLKATA 700 053**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7), (8) and (9) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Jayanta Bhattacharya (Membership No. 017916)** from the Register of Members for a period of 01(One) year. Aggrieved by Order of the Committee, the Respondent preferred an Appeal (no. 33/ICAI/2022) before the Appellate Authority in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority by its order dated 2<sup>nd</sup> November, 2023 reduced the period of removal of name of the Appellant from 01(One) year to 03(Three) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Jayanta Bhattacharya (Membership No. 017916)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 16<sup>th</sup> April, 2024.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

ADVT.-III/4/Exty./025/2024-25]

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042024-253743  
CG-DL-E-18042024-253743

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]  
No. 259]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2024/चैत्र 27, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2024/CHAITRA 27, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/142/15/डीडी/149/2015/बीओडी/411/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने सीए. विनय कुमार सेठ (सदस्यता सं. 406625), 24/73-76, किशोरी निवास, बिरहाना रोड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) 208001, को उक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. विनय कुमार सेठ (सदस्यता सं. 406625) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. विनय कुमार सेठ (सदस्यता सं. 406625) का नाम 16 अप्रैल, 2024 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./028/2024-25]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2024

**(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**No. PR/142/15/DD/149/2015/BOD/411/2017.**—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Vinay Kumar Seth(M. No. 406625), 24/73-76, Kishori Niwas, Birhana Road, KANPUR(Uttar Pradesh) 208001**, guilty of ‘Other Misconduct’ falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the said Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Vinay Kumar Seth(M. No. 406625)** from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Vinay Kumar Seth (M. No. 406625) shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 16<sup>th</sup> April, 2024.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./028/2024-25]



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042024-253746  
CG-DL-E-18042024-253746

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]  
No. 264]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2024/चैत्र 27, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2024/CHAITRA 27, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली  
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024  
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/221/2020/डीडी/230/2020/बीओडी/660/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने सीए. अवधूत रमेश असइकर (सदस्यता सं. 102887), 65/20 प्रथम तल, कृतांजलि, शांगरीला रेस्तरां लेन, लॉ कॉलेज रोड, पुणे (महाराष्ट्र) 411004, को उक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. अवधूत रमेश असइकर (सदस्यता सं. 102887) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अवधूत रमेश असइकर (सदस्यता सं. 102887) का नाम 16 अप्रैल, 2024 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./033/2024-25]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI****(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2024

**(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**No. PR/221/2020/DD/230/2020/BOD/660/2022.**—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Avadhoot Ramesh Asaikar (M. No. 102887), 65/20 1<sup>st</sup> Floor, Krutanjali, Shangrilla Restaurant Lane, Law College Road, PUNE(Maharashtra) 411004**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the said Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Avadhoot Ramesh Asaikar (M. No. 102887)** from the Register of Members for a period of 01(One) month and also imposed a Fine of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Avadhoot Ramesh Asaikar (M. No. 102887)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 16<sup>th</sup> April, 2024.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./033/2024-25]



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042024-253765  
CG-DL-E-18042024-253765

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]  
No. 258]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2024/चैत्र 27, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2024/CHAITRA 27, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

सं. पीपीआर/पी/87/15/डीडी/68/आईएनएफ/2015/बीओडी/314/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने सीए. मुसालैयह पेनागलूरी (सदस्यता संख्या 023675), सी-26-108, जयानगर कॉलोनी, कडपा (आंध्र प्रदेश) 516002, को उक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. मुसालैयह पेनागलूरी (सदस्यता संख्या 023675) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. मुसालैयह पेनागलूरी (सदस्यता संख्या 023675) का नाम 16 अप्रैल, 2024 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./027/2024-25]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**(Chartered Accountants)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2024

**No. PPR/P/87/15/DD/68/INF/2015/BOD/314/2017.**—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Musalaiah Penagaluri(M. No. 023675), C-26-108, Jayanagar Colony, KADAPA(Andhra Pradesh) 516002**, guilty of ‘Other Misconduct’ falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 22 of the said Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Musalaiah Penagaluri(M. No. 023675)** from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Musalaiah Penagaluri(M. No. 023675)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 16<sup>th</sup> April, 2024.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./027/2024-25]





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042024-253770  
CG-DL-E-19042024-253770

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]  
No. 257]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2024/चैत्र 27, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2024/CHAITRA 27, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/434/2019/डीडी/01/आईएनएफ/2020/डीसी/1504/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन समिति ने सीए. सुराजीत दत्ता (सदस्यता संख्या 061755), दुकान नं. 14, ब्लॉक एफ, वाणिज्यिक सुगम पार्क, 195, एन एस रोड, कोलकाता (पश्चिमी बंगाल) 700103, को पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का और दूसरी अनुसूची के भाग II की मद (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. सुराजीत दत्ता (सदस्यता संख्या 061755) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 25,000/- रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय आदेश की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 01 (एक) मास की

अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुमाने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. सुराजीत दत्ता (सदस्यता संख्या 061755) का नाम 16 अप्रैल, 2024 से 04 (चार) मास की समेकित अवधि [03 (तीन) मास और अतिरिक्त 01 (एक) मास] के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./026/2024-25]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

(Set up by an Act of Parliament)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2024

**(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**No. PPR/434/2019/DD/01/INF/2020/DC/1504/2021.**—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Surajit Datta (Membership No. 061755), Shop no. 14, Block F, Commercial Sugam Park. 195, N S Road, KOLKATA(West Bengal) 700103**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (1) of Part II of Second Schedule and “Other Misconduct” falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Surajit Datta (Membership No. 061755)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand) only to be paid within 90 days of receipt of the Order and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for an additional period of 1(One) month. Since the Respondent has failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of **CA. Surajit Datta (Membership No. 061755), shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 04(Four) months [03(Three) months plus additional 01(one) month] with effect from 16<sup>th</sup> April, 2024.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.  
[ADVT.-III/4/Exty./026/2024-25]



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042024-253740  
CG-DL-E-18042024-253740

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]  
No. 255]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2024/चैत्र 27, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2024/CHAITRA 27, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान  
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024  
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/224/2015/डीडी/227/2015/डीसी/723/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन समिति ने सीए. परागेश किशोर जोशी (सदस्यता सं. 131603), भाग्यदा अंकित रेजीडेंसी, फ्लैट न. 1, विद्यानगर रोड नं. 3, वर्णाली रोड, विश्रामबाग, सांगली(महाराष्ट्र) 416415, को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (5), (6), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. परागेश किशोर जोशी (सदस्यता सं. 131603) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया। अनुशासन समिति के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22छ के निबंधनानुसार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील (संख्या 26/आईसीएआई/2021) फाइल की और अपीलीय प्राधिकरण ने अपने तारीख 13 नवंबर, 2023 के आदेश द्वारा 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपए) के जुर्माना के साथ प्रत्यर्थी के नाम को हटाए जाने की अवधि को 02 (दो) वर्ष से घटाकर 06 (छह) मास कर दिया। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड

अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. परागेश किशोर जोशी (सदस्यता सं. 131603) का नाम 16 अप्रैल, 2024 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./024/2024-25]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

**(Set up by an Act of Parliament)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2024

**(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**No. PR/224/2015/DD/227/2015/DC/723/2017.**—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Paragesh Kishor Joshi (Membership No. 131603), Bhagyada Ankit Residency, Flat No. 1, Vidyanagar Road No. 3, Warnali Road, Vishrambag, SANGLI(Maharashtra) 416415**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (5), (6) (7) and (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Paragesh Kishor Joshi (Membership No. 131603)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. Aggrieved by Order of the Committee, the Respondent preferred an Appeal (no. 26/ICAI/2021) before the Appellate Authority in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority by its order dated 13<sup>th</sup> November, 2023 reduced the period of removal of name of the Appellant from 2(Two) years to 06(Six) months alongwith a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Paragesh Kishor Joshi (Membership No. 131603), shall stand removed from the Register of Members for a period of 06(Six) months with effect from 16<sup>th</sup> April, 2024.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./024/2024-25]